

सबस्टीट्यूट डिजीज़न मेकर क्या है ?

सबस्टीट्यूट डिजीज़न मेकर वह है जो आपके लिये फैसला ले जब आप स्वयं फैसला लेने के काबिल नहीं होंगे।

सबस्टीट्यूट डिजीज़न मेकर कौन बन सकता है ?

आप किसी को भी अपना सबस्टीट्यूट डिजीज़न मेकर चुन सकते हो, अगर वह इसके लिये योग्य तथा तैयार है। आप अपने पार्टनर या रिश्तेदारों के इलावा किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुन सकते जो 16 साल से कम उम्र का हो, दिमागी तौर पर नाकाबिल हो या पैसे ले कर देखभाल करने वाला हो।

सबस्टीट्यूट डिजीज़न मेकर को क्या करना चाहिये ?

सबस्टीट्यूट डिजीज़न मेकर की ज़िम्मेवारी है कि वह आपके लिये फैसला करे और तसल्ली करे कि आपकी देखभाल आपकी इच्छानुसार हो रही है, जब आप अपने लिये फैसला करने लायक नहीं रहते। आपका डॉक्टर या अन्य हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर उसे आपके इलाज से पहले सहमति लेने के लिये सम्पर्क करेगा। अगर आपके डॉक्टर को आपकी इच्छा के बारे में पता ना हो तो इमरजेंसी की हालत में वह स्वयं भी फैसला ले सकता है।



संस्था


a member of

The Mississauga Halton Local
Health Integrated Network

इस दस्तावेज़ में स्टाफ, मरीजों/निवासियों तथा उनके सबस्टीट्यूट डिजीज़न मेकर की सहायता के लिये एडवांस केयर प्लैनिंग की हिदायतें दी गयी हैं। इसमें सभी कानूनी विकल्प शामिल नहीं हैं। इसका मकसद कानूनी सलाह देना नहीं है। इसमें अधिनियम के कुछ कानूनी शब्दों को सरल भाषा में बताया गया है ताकि वे आसानी से समझ में आ जायें।

सबस्टीट्यूट डिजीज़न मेकिंग तथा अपनी देखभाल के लिये मुख्तारनामा

हेल्थ केयर में सबस्टीट्यूट डिजीज़न मेकर
चुनने के लिये एक गाईड



Funded by the Mississauga Halton
Local Health Integrated Network
*adapted from the Central-West Local Health
Integrated Network Initiative*

अगर मैंने सबस्टीट्यूट डिसीज़न मेकर ना चुना हो तो क्या होगा ?

इस हालत में, कानून अनुसार आपकी जगह पर आपकी सेहत सम्बन्धी फैसला लेने से पहले डॉक्टर नीचे लिखे लोगों से संपर्क करेगा। जो इस प्रकार है :

- अदालत की तरफ से नियुक्त गार्डियन (रखवाला)
- निजी देखभाल के लिये मुख्तारनामा
- कनसैट तथा कपैसिटी बॉर्ड द्वारा निर्धारित प्रतिनिधि
- आपका पति/पत्नी, कॉमन लॉ स्पाउस या पार्टनर
- आपका बच्चा (उम्र 16 साल या ज़्यादा) या आपके माता पिता
- आपके माता या पिता जिसके पास आपसे मिलने का अधिकार है
- आपका बहन या भाई
- कोई और रिश्तेदार जिसके साथ आपका खून का रिश्ता हो या शादी करके या गोद ले कर बने रिश्तेदार
- पब्लिक गार्डियन तथा ट्रस्टी का दफ्तर

पर्सनल केयर के लिये मुख्तारनामा क्या है ?

पर्सनल केयर के लिये मुख्तारनामा एक ऐसा दस्तावेज़ है जिस में आप अपने सबस्टीट्यूट डिसीज़न मेकर को नियुक्त करते हो जो आपकी पर्सनल केयर के हर पहलू के लिये ज़िम्मेवार होगा। जिसमें आपकी देखभाल, आहार, शारीरिक सफाई, सुरक्षा, कपड़े तथा रहने की जगह शामिल हैं।

क्या पर्सनल केयर के लिये पावर ऑफ अटॉर्नी तथा एडवांस केयर डायरेक्टिव/लिविंग विल एक ही हैं ?

नहीं, यह एक नहीं हैं। एडवांस केयर डायरेक्टिव या लिविंग विल लिखित दस्तावेज़ हैं, जिस में आप अपनी भविष्य की देखभाल की योजनाओं के लिये अपनी इच्छायें बताते हो। इन में सबस्टीट्यूट डिसीज़न मेकर नियुक्त करना जरूरी नहीं है। अगर आप इस दस्तावेज़ में किसी सबस्टीट्यूट डिसीज़न मेकर का नाम लिखवाते हो तथा वह पर्सनल केयर के पावर ऑफ अटॉर्नी की सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसे ही नियुक्त किया जायेगा।

क्या पर्सनल केयर के लिये एक से ज़्यादा अटॉर्नी को नियुक्त किया जा सकता है ?

आप पर्सनल केयर के लिये एक से ज़्यादा अटॉर्नी को नियुक्त कर सकते हो या हर ज़िम्मेवारी के लिये अलग अटॉर्नी भी हो सकता है। अगर एक से ज़्यादा अटॉर्नी हों तो फैसले एक साथ या अलग अलग लिये जा सकते हैं। जैसे कि एक रहने की जगह के बारे में फैसला कर सकता है तथा दूसरा आपकी देखभाल के बारे में फैसला कर सकता है। आप ऑल्टरनेट या बैक-अप के लिये भी अटॉर्नी चुन सकते हो जो उस समय सहायक हो सकता है जब पहला नियुक्त व्यक्ति आपके लिये फैसला करने के लायक ना हो।

पर्सनल केयर के लिये पावर ऑफ अटॉर्नी किस तरह नियुक्त किया जा सकता है ?

पर्सनल केयर के लिये पावर ऑफ अटॉर्नी की नियुक्ति लिखित रूप में हस्ताक्षरों सहित दो गवाहों की हाजरी में की जा सकती है। इस दस्तावेज़ को पूरा करते समय आपको पूरा पता होना चाहिये कि इस दस्तावेज़ का क्या मतलब है तथा जिस व्यक्ति का नाम आपने इस में लिखवाया है वह आपके लिये भविष्य में आपकी देखभाल का हर फैसला करेगा, जब आप यह फैसला करने लायक नहीं होंगे।

Further Resources

A Guide to Advance Care Planning
Government of Ontario

Living Will

U of T Joint Centre for Bioethics
www.utoronto.ca/jcb

Let Me Decide

D.W. Molloy, 2004

Office of the Public Guardian and Trustee

www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca

Advocacy Centre for the Elderly

www.advocacycentreelderly.org

Consent and Capacity Board

www.ccboard.on.ca

Substitute Decisions Act

www.elaws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_92s30_e.htm

Health Care Consent Act of Ontario

www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96h02_e.htm